प्राचीन भारत में जातीय वर्गीकरण का आर्थिक आधार

डॉ. रेखा चौधरी

विभिन्न जातियों के लोग दूसरे के साथ वैवाहिक सम्पर्क नहीं रख सकते परन्तु स्वाति में ही यह होता है। इस प्रकार के दूसरे प्रतिबंध भी हैं यद्यपि वह इतने कटु एवं विशिष्ट नहीं जितना विवाह के सम्बन्ध में। एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ बैठकर न भोजन और नहीं कोई पेय ग्रहण कर सकते हैं। अधिकतर जातियों का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। इनके साथ ही कुछ ऊँच–नीच विभेद परस्पर जातियों में बने होते हैं। जन्म के ही आधार पर किसी व्यक्ति का सम्बन्ध किसी जाति विशेष से किया जाता है। जब तक एक जाति का व्यक्ति किसी विशेष कारण से अपनी जाति से बहिष्कृत न कर दिया जाय तब तक उसे अपने को किसी दूसरे ऊँच या नीच जाति में बदलना सम्भव नहीं होता। इसी प्रकार की विभिन्न विशेषताएँ हट्टन तथा दूसरे भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी दी है। इस सम्बन्ध में यह समीचीन प्रतीत होता है कि उपर्युक्त विशेषताओं का थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया जाय।

जाति–प्रथा में ब्राह्मणों की स्थिति स्वाभाविक रूप से उनके पुरोहिती के दायित्वों से और जाति–प्रथा के संरक्षण देने वाले धर्म पर उनके एकाधिकार से निर्धारित हुई। कोसांबी का विचार है कि उनकी स्थिति अंशतः पंचांग पर उनके अधिकार से भी निर्धारित हुई क्योंकि कृषि–कार्य के नियमन के लिए इसका अत्यधिक महत्व था।